भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0- 201A/2017-18

सुरेश सामड **बनाम** लोदो सामड

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
7-2-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 65 दिनांक 16.01.18 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 201A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता सुरेश सामड पिता–स्व0 मधुसुदन सामड, ग्राम–अर्जुनबिला, थाना–राजनगर जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता लोदो सामड पिता स्व0 मोटाय सामड, ग्राम–अर्जुनबिला, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
अर्जुनबिला	389	27	82/अं0	0.35एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता दादाजी एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के हिस्से में 3.985 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.35 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 3.635 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'हो', जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.35 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

07/02/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner